

राजस्थान सरकार

कृषि (गुप-1) विभाग,

क्रमांक : F12C107 कृषि/1/10

दिनांक :


21.10.10

-: आदेश :-

प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अ. शा. टीप. क्रमांक 13(51)/कार्मिक/क-1/गो.प्र./2010 दिनांक 01.10.2010 की पालना में पंचायत राज विभाग में कृषि विभाग के स्थानान्तरित स्टाफ के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु निर्धारित चैनल संबंधी जारी पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार चैनल निर्धारित किया जाता है।

गतिविधि	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति				जिला परिषद			
वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन	-	अधिकारी / कर्मचारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकार कर्ता	अधिकारी / कर्मचारी	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकार कर्ता
		सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक	उप निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पैतृक विभाग	उप निदेशक कृषि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक कृषि विभाग	पैतृक विभाग
						सहायक निदेशक कृषि	उप निदेशक कृषि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पैतृक विभाग
		अन्य स्टाफ	सहायक निदेशक	उप निदेशक	पैतृक विभाग	अन्य स्टाफ	उप निदेशक कृषि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	पैतृक विभाग


यह चैनल तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः वर्ष 2010-11 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नव निर्धारित चैनल के अनुसार भरे जावेंगे।

  
शासन उप सचिव कृषि

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
- 2 निजी सचिव, माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
- 3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प.) विभाग, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
- 7 आयुक्त कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
- 9 रक्षित पत्रावली।

39

  
शासन उप सचिव कृषि